[श्री राम विलास पासवान]

को काम पर भेजा और दुर्घटना घटी। आम मजदूरों में इस घटना एवं सुरक्षा को लेकर काफी रोष है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार खान सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठायें। मृत मजदूरों के परिवारों को एक लाख रुपया मुआवजा दे तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे।

13.22 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: DISAPPROVAL OF DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, DELHI ADMINISTRATION (AMENDMET) BILL, AND DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next item. Shri G. L. Vyas, you have already taken 5 minutes yesterday. The time left is only 20 minutes You have to conclude within 5 minutes now.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): Sir, 10 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, you must come here and I will go there.

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी० जे० पी० के बारे में जिक्र कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बड़ा हल्ला मचाया कि दिल्ली में चुनाव नहीं कराते, कांग्रेस के लोग डरते हैं। जब चुनाव कराया गया तो बी० जे० पी० का क्या हाल हुआ, जैसे अभी यहां पर है--एक भी बी० जे० पी० का सदस्य यहां मौजूद नहीं है।

श्री बाबू राव परांजपे (जबलपुर) : मैं यहां बैठा हुआ हूं बी० जे० पी० की तरफ से।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने रेजूलेशन रखा है और अब विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध में कोई तथ्य नहीं है। श्री शेजवालकर जी ने विरोध करते हुए कहा है कि बिना डी-लिमिटेशन किये गलत तरीके से यहां चुनाव करा दिया। उस बारे में हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल साफ कहा है कि संविधान अमेंडमेंट आर्टिकल 42, जिसके जरिये मांग की गई है, वह सारे प्रदेशों के लिए है, 2000 तक हम किसी प्रकार का कोई डि-लिमिटेशन नहीं करेंगे। तो क्या दिल्ली हिन्दुस्तान से अलग है जिससे कि डि-लिमिटेशन कर दिया जाये ? इसीलिए डि-लिमिटेशन नहीं किया गया। उनकी मांग के अनुसार ही यहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराये गये हैं।

यहां सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, लोकदल आदि सब पार्टी के लोग बैठे हुये हैं। इन पार्टियों के अलग-अलग टुकड़े हो चुके हैं, वह सब लोग जितने भी अलग-अलग थे जो कि अपने आपको सोशलिस्ट मानते थे, मजदूरों और गरीबों का मसीहा मानते थे, वह सब एकजुट होकर मैदान में आये, मगर ये लोग ऐसे डाउन हुये कि आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउन्सिल और दिल्ली कारपोरेशन में एक भी प्रतिनिधि इनका नहीं गया। इस तरीके की हालत इन राजनीतिक पार्टियों की है।

ऐसी अवस्था में हमारी सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाये हैं, वह जनता के हित में ही उठाये हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह किया है।

मैं माननीय मंत्री मोहदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली में डी० डी० ए०

की जो अथौरिटी है, इसने पिछले वर्षों में किस प्रकार से काम किया है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

डी० डी० ए० ने जो हाउसिंग कालोनीज बनाई हैं उनकी क्या हालत हुई है ? मंत्री जी को उस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारी सरकार को बदनाम करने वाले ये अधिकारी लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । जो अधिकारी गड़बड़ घोटाला करते हैं और पैसा खा गये उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । हमारी सरकार और हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी सही प्रशासन देना चाहती हैं लेकिन ऐसे अधिकारी जो वहां पर बैठ जाते हैं, उनसे बड़ी बदनामी होती है । सरकार को उन पर पूरा अंकुश रखना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि यहां दिल्ली में कम से कम दस लाख शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं जोकि राजस्थान के हैं । वे मजदूर पेशा लोग हैं । अलग अलग कालोनीज में वे रहते हैं । झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं । अभी हाल के चुनाव में उन्हीं लोगों ने आपको बहुमत दिलवाया है । उन लोगों के लिए पूरी माकूल व्यवस्था की जानी चाहिये । उनको कालोनीज में सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिये । बिजली और अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिये। उनके बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था भी की जानी चाहिये । यदि आप उन लोगों के लिए पूरा इन्तजाम नहीं करेंगे तो उनके दिल-दिमाग में निराशा पैदा होगी । बीस सूत्री कार्यक्रम में मुख्य रूप से इन्हीं लोगों की मदद करने और इम्प्लायमेंट देने की बात कही गई है । इन लोगों को मकान और प्लाट डेने की व्यवस्था की गई है । ऐसे लोग जो कांग्रेस की नीतियों में पूरा विश्वास रखते हैं उनके लिए पूरी कोशिश करके उनको आर्थिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सम्पन्न बनाया जाना चाहिये । शिक्षा के क्षेत्र में उनके बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिये । उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था होनी चाहिये । दिल्ली में आपने जो एशियाड का आयोजन किया उससे सम्बन्धित निर्माण-कार्यों में इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये ।

यह सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव के सम्बन्ध में बहुत ढोल बजाया था, उनको मुंह की खानी पड़ी है । ये ऐसे लोग हैं जोकि देश में गलत प्रकार की धारणायें पैदा करते हैं । खास तौर से जो बी० जे० पी० है वह असम में कुछ कहती है, पंजाब में कुछ कहती है और दिल्ली में कुछ कहती है । ये लोग कम्युनल भावनायें फैलाकर साम्प्रदायिक दंगे और गलत हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं । इनसे हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है । जिस प्रकार से**...काम करते हैं, उसी तरह से ये भी अलग अलग संगठन बनाकर काम करते हैं । इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरुरत है । सी० पी० एम० के लोगों से भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है । वे भी देश में निराशा का संचार करते हैं और मजदूरों को भड़काते हैं । इनके पास भी विकास की गति को खत्म करने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है । एक राइटिस्ट हैं और दूसरे लेफ्टिस्ट हैं। दोनों से ही सावधान रहने की जरुरत है । इनके खिलाफ बहुत सतर्कता से काम करें, तब जाकर हमारी व्यवस्था मजबूत होगी।

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हमारा समाजवादी कार्यक्रम है—गरीब को ऊंचा उठाना, गरीब की ज्यादा से ज्यादा मदद करना । ये कार्यक्रम निश्चित तरीके से इस देश के आर्थिक उत्थान में ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे । हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है । इस देश को खुशहाल बनाने में, इस देश से गरीबी मिटाने में, बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने में—उनके सिवाय और ऐसा नेतृत्व नहीं दे सकता है । इसलिए उन्हीं के नेतृत्व में यह देश खुशहाल होगा । इसलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा उनको शक्ति देंगे, सहयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इन बिलों का समर्थन करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली नगर-निगम संशोधन विधेयक, 1983 और दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक, 1983—इन दोनों विधेयकों पर हम लोग एक साथ विचार कर रहे हैं । मैं इन दोनों का विरोध करता हूं ।

विरोध क्यों करता हूं, इस बारे में मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं । चुनाव तो हो गये । किसी भी चुनाव के लिये वोटर लिस्ट तो जरूर बनाई जाती है, पाबन्दी तो है ही नहीं । हर साल वोटर लिस्ट में संशोधन किये जाते हैं, केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में । इस के लिये बाकायदा चुनाव कार्यालय बने हुये हैं और यहां भी बने हुये हैं । चुनाव के लिये तो बहुत दिनों से आवाज लग रही थी, तमाम विरोधी दल के लोग मांग कर रहे थे । जब आपने 1980 में चुनाव कराया उस समय भी मांग कर रहे थे और उसके बाद भी लगातार मांग करते आ रहे हैं । आप जानते थे, किसी न किसी दिन आपको चुनाव कराना होगा । चुनाव के पहले कायदे के मुताबिक वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिये था, यह नहीं हुआ । ठीक उसी प्रकार से जब आबादी में परिवर्तन होता है, रोज आबादी बढ़ रही है, कहीं पर हरिजन की आबादी ज्यादा हो जाती है और कहीं दूसरों की आबादी ज्यादा हो जाती है, इस बात को ध्यान में रख कर चुनाव क्षेत्रों की सीमा बांधी जाती है । उसमें जरूरत पड़ने पर जहां पहले जनरल सीट है, उसको अनुसूचित जाति की सीट में बदल देते हैं और हरिजन की सीट को साधारण सीट में कर देते हैं । यही एक-दो सवाल हैं, जिसके लिये यह आर्डिनेंस जारी किया गया था । आर्डिनेंस को हटाकर अब यह दो विधेयक सदन के सामने पेश किये गये हैं । इस विधेयक में इन्होंने लिखा है :

> "The figures of 1981 Census being available, it is necessary to delimit the wards on the basis of 1981 Census, but the process of delimitation of the wards being time-consuming and the holding of elections to the Municipal Corporation of Delhi immediately having become urgently necessary, the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1983 was promulgated to facilitate the elections....."

ठीक है, यही बात दूसरे विधेयकों में भी कही गयी है । किसी भी देश के लिये, जहां जनतन्त्र है, यह आवश्यक शर्त है । जनतन्त्र को आप लुन्ज-पुन्ज नहीं कर सकते हैं । उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी बाध्यता को आपको पूरा करना होगा । यदि आप सचमुच में जनतन्त्र को और मजबूत करना चाहते हैं, उसमें आप का यकीन है, तो आप जिस तरह से तर्क दे रहे हैं मैं इन दोनों तर्कों को लचर मानता

हूं। समय तो लगता ही है—डिलिमिटेशन में भी समय लगेगा और वोटर लिस्ट बनाने में भी समय लगेगा। किसी भी चुनाव के पहले इन दोनों चीजों की आप के लिये बाध्यता है। लेकिन इसकी तरफ आप ने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप ने लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों पर चोट की है, इस तरह का अधिकार आप को या किसी भी सरकार को नहीं दिया जा सकता कि वह जनतंत्र को तोड़े। इसी अर्थ में मैं इसका विरोध कर रहा हूं। समय तो बहुत था, 1980 के बाद और 1981 के बाद भी समय बहुत था। 1983 में आप ने चुनाव करवाये, क्या इस बीच में डिलिमिटेशन नहीं हो सकता था? लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे। इस बारे में आप की क्या मंशा थी, आप ने क्यों नहीं करवाया, क्या कारण था? क्या वही कारण था जिस का अभी व्यास जी ने जिक्र किया था कि जनता पार्टी ने 20 साल का समय बढ़ा दिया, इस लिये नहीं किया? अगर ऐसा था तो एम्ज-एण्ड-आब्जैक्ट्स में कहना चाहिये था। ऐसा आप ने नहीं किया है, इस लिये हम जानना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन नहीं कराने का क्या कोई और कारण था या टाइम फैक्टर की वजह से नहीं किया, वोटर लिस्ट का संशोधन क्यों नहीं किया? वोटर लिस्ट का संशोधन तो और भी ज्यादा आवश्यक था और नये सिरे से कराना था। बिल्कुल एक्सटेन्सिव तौर पर, बड़े पैमाने पर घर-घर जा कर नई वोटर लिस्ट बनानी चाहिये थी और उसी की बुनियाद पर चुनाव होना चाहिये था, जैसा कि आम चुनावों में आप बराबर करते हैं, वह पद्धति इस दफा क्यों नहीं अपनाई गई। इसके पीछे क्या राज था, क्या कठिनाई थी—इन दोनों बातों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। इन दोनों बातों के बारे में आप अपने एम्ज एण्ड आब्जैक्ट्स में ठीक से नहीं बतलाया है। इसलिये जो लोग जनतन्त्र में विश्वास करने वाले हैं उनके सामने इन दोनों विधेयकों का विरोध करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

आप यहां पर कारपोरे... भी रखे हुए हैं और मैट्रोकान्सिल भी रख हुए हैं—क्यों? क्या मैट्रोपालिटन कान्सिल के लोग बड़े लोग हैं, ज्यादा साधन सम्पन्न हैं, ज्यादा सामर्थ्यवान लोग हैं, इसलिये उनके वास्ते अलग से व्यवस्था करनी है और कारपोरेशन के अन्दर गरीब गुरबा, रिक्शा चलाने वाले, टांगा चलाने वाले, भूख से मरने वाले, गन्दगी में रहने वाले, मच्छरों से जूझने वाले—ऐसे लोग रहते हैं, इसलिये उनके वास्ते दूसरी व्यवस्था रखना चाहते हैं। आप दोनों को मिलाकर असेम्बली की स्थापना क्यों नहीं करते हैं? इसको राज्य का दर्जा दीजिये। दोनों को बराबर का अधिकार दीजिये, जिसका मैट्रोपोलिटन कान्सिल के लोग भी उपभोग कर सके और कारपोरेशन के अन्दर रहने वाले भी एक सरकार के अन्दर रहें। अलग-अलग विभेद करने की क्या आवश्यकता है। यह इसलिये भी जरूरी है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें गर्व है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसकी तरक्की होनी चाहिये, यहां से गरीबी मिटनी चाहिये, झुग्गी-झोंपड़ी वालों की समस्यायें भी सुलझनी चाहिये, बेकारी नहीं रहनी चाहिये, अनाज तथा अन्य सभी वस्तुए मिलनी चाहिये। इसको एक आदर्श शहर बनाना होगा ताकि इसका अनुकरण हमारे राज्यों के दूसरे शहर भी कर सक। आज जरूरत है कि दिल्ली का समयक विकास हो, इस दृष्टि से जरूरी है कि यहां असेम्बली (विधान सभा) बनाई जाय। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय। आप इस से क्यों कतरा रहे हैं? आप सदन को अपने विश्वास में लीजिए—क्या बात है कि आप ऐसा नहीं कर

[श्री रामावतार शास्त्री]

रहे हैं, इसको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री एन० के० शेजवलकर): (ग्वालियर) अब तो वहां इन के लोग आ गये हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई दिक्कत नहीं है, इन का बहुमत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Even if Statehood is given, the Delhi Corporation will have to exist. You are opposing that also?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा हूं कि स्टेट असेम्बली रहे। मेरा यह प्रपोजल है कि सब को मिला कर आप स्टेट असेम्बली बनाइये। असेम्बली के लिये जो लोग चुने जायें वे ही सब कुछ तो करें। इसको आप देखते नहीं हैं। आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दीजिये और यहां के लिये असेम्बली दीजिये। लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आप दो तरह का व्यवहार करते हैं। आप सभी के साथ एक तरह का व्यवहार कीजिये।

दिल्ली के नये मास्टरप्लान की बात भी आयी है। अखबारों में भी आया था कि सरकार दिल्ली के लिये नया मास्टरप्लान बनाना चाहती है। उसको भी शीघ्र बनाया जाना चाहिये जिससे कि तमाम दिल्ली का अच्छे ढंग से विकास हो। इस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि दिल्ली में असेम्बली रहने से यहां के नागरिकों का अधिकार बढ़ेगा और असेम्बली की काम करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। इसलिये भी यहां स्टेटहुड मिलना चाहिये।

आचार्य भगवानदेव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक जो हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी विरोधी पार्टी के लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दिल्ली में विधान सभा बनाने की मांग की। परन्तु हकीकत यह है कि जब ये लोग स्वयं यहां सत्ता में रहे—1977 से 1979 के बीच ये यहां शासन करते थे तब इन्होंने दिल्ली में विधान सभा नहीं बनायी। दिल्ली के बारे में चुनाव होने से पहले घोषणा की थी और दिल्ली में विधान सभा बनाने के बारें में वचन भी दिया था परन्तु यह कह कर के भी इन्होंने दिल्ली में विधान सभा नहीं बनायी। इस से किसी को इंकार नहीं है कि दिल्ली एक आदर्श नगरी बननी चाहिये। दिल्ली इस देश की, राजधानी भी है। परन्तु अपने शासन काल में इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया ये विरोधी पार्टी के लोग अपने घरों को भरने में लगे रहे।

इसके साथ यह भी हकीकत है कि जब 1980 में हमारी पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद से दिल्ली का नक्शा ही बदल गया है। उसके बाद से दिल्ली का जितना सुन्दर विकास किया गया है उसकी न केवल दिल्ली की और देश की जनता ने ही प्रशंसा की, बल्कि सारे विश्व के नेताओं ने उन बड़े-बड़े नेताओं ने भी जो कि निर्गुट सम्मेलन के समय में दिल्ली आये, दिल्ली के कायाकल्प को देख कर उसकी प्रशंसा की।

यह भी हकीकत है कि गरीबों ने हमारी पार्टी की मदद की। जो मदद गरीबों ने हमारी पार्टी की की, उसका एक कारण यह भी है कि 1976 में, जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, गन्दी बस्तियों में रहते थे, उनके लिये हमारी सरकार ने

नई-नई कालोनियां बनाई थी, लाखों की संख्या में उनके लिये क्वार्टर और तीन मंजिला मकान बना कर दिये थे। इस प्रकार से उनको एक स्वच्छ वातावरण प्रदान किया था और उनके लिये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल वगैरह की व्यवस्था की थी। उस समय लोगों ने आवेश में आ कर विरोध जरूर किया, लेकिन आगे चल कर उन्होंने अपनी गल्ती को महसूस किया। इसी का परिणाम था कि अब की बार उन्होंने चुनावों में हमारी पार्टी को बहुमत प्रदान किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे शास्त्री जी ने जो विचार व्यक्त किये, उनसे लगता है कि वे निराश व्यक्ति है। दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली (व्यवधान) आप जो कुछ बोलते है उसमें कुछ दम नहीं है।

आपने यहां पर लिस्ट की बात की। आपके जब हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो गई, यहां पर चुनाव हो गये तब लिस्ट की बात की। अब आपकी तीसरी आंख खुली है, इसके पहले तो आपने कभी नहीं कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिये। आप लोगों ने यहां चुनाव की मांग की तो यहां चुनाव करा दिये गये। आपने असम में चुनाव की मांग की तो वहां चुनाव करा दिये गये।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अन्दर चुनाव की बात करती रही किन्तु उसनें असम में चुनावों का विरोध किया। उन चुनावों के विरोध के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? यह जग प्रसिद्व है। एक तरफ वे चुनावों की बात करते है और दूसरी तरफ वे चुनावों का विरोध करते है। मुझे यह समझ में नहीं आती कि आप वहां चुनावो का विरोध क्यों करते रहे? आप चुनावों के आधार पर निर्णय होने दीजिये, परिवर्तन होने दीजिये परन्तु ये हमेशा दुरंगी चाल चलते रहे हैं। यहां पर वे मुसलमानों के साथ रहे और असम में मुसलमानों का विरोध करते रहे। ये न हिन्दु रहे न मुसलमान रहे और न साम्प्रदायिक रहे। इनको लोग अब जान गये हैं।

अब ये गांधीवादी बन गये। 30 जनवरी को गांधी जी की समाधि पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर फूल चढ़ाने के लिये गये। गांधी जी के साथ उनका रवैया क्या रहा और उसके बाद भी गांधी जी के सम्बन्ध में इनके नेता लोग क्या कहते रहे। 35 साल के बाद वे अब गांधी जी को स्वीकार करने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी की हत्या के 37 साल बाद इनको गांधी जी की नीतियां समझ में आई है। आज ये राष्ट्रपिता की नीतियों की हिमायत कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी जी को ये 37 वर्षों के बाद समझ पायें है तो देश की महान माता श्रीमती इंदिरा गाधी जी की नीतियों को समझने के लिये तो इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे। वे क्या सोचती है किस तरह से राष्ट्र को गरीब और मजदूर का भला करना चाहती हैं, उनकी क्या योजनायें है, इसकी गहराई में जाने के लिये इनको कई जन्म लेने होंगे।

अभी साम्यवादी नेता बोल रहे थे। साम्यवाद को पनपाने वाले श्री अमृत डांगे हैं। बाकी सब उनके बाद पैदा हो गये हैं। उस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि इस देश के मजदूर, गरीब और पिछड़े वर्ग का यदि कोई भला कर सकता है तो श्रीमती इंदिरा गाधी ही कर सकती है। यही कारण है कि इन लोगों को सारे देश की जनता ने फैंक दिया है। जनता इनको समझ चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इनकी पालिसी क्या है—ये चाहते क्या हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये रहते यहां हैं परन्तु प्रेरणा दूसरे देशों से लेते हैं। इस देश को अनेक कुरबानियों के बाद

[आचार्य भगवान देव]

आजादी मिली है। लेकिन ये लोग खाते यहां का है और बात दूसरे देश की करते है। जनता इनको कभी भी वोट नहीं दे सकती।

आज दिल्ली का इतना विकास हुआ है। इतने पुल बन हैं, इतने स्टडियम बने है। करोड़ों रूपया खर्च किया गया है। इन्होंन चुनाव में यह मुद्दा खड़ा किया परंतु य इस बात को भूल गय कि 1980-1981 और 1982 में दिल्ली का जो कायाकल्प किया गया है उसमें पूरे देश से आय हुये 80 हजार मजदूरों को रोजीरोटी भी मिली है। पुलो क निर्माण होन से लोगों क समय की बचत हुई है। लोग अपन गंतव्य स्थान को सही समय पर पहुंच सकते हैं। पैट्रोल और डीजल की बचत हुई है जो ट्रैफिक जाम होन के कारण जलता रहता था। ट्रफिक में सुधार आया है। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। वायु प्रदूषण भी कम हुआ है। स्टडियमों पर जो खर्चा हुआ है उनसे आन वाले सालों में जो प्रदर्शन होंगे उनसे हमार देश को विदेश मुद्रा प्राप्त होगी। इन बातों की कल्पना विरोधी पार्टी के लोग नहीं कर सकते।

मैं नौजवान नेता श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं। कोई जिम्मेदारी न होते हुए भी दिल्ली का कायाकल्प करने में इनका काफी योगदान रहा है। जितना हो सकता था उन्होंने इसमें काम किया है। यहां से चुने गये श्री वाजपेयी जी भी किसी गली में किसी गरीब आदमी से उसका सुखदुख पूछने नहीं गये होंगे लेकिन अमेटी से चुने कर आये रजीव गांधी हर गली में मजदूरों और किसानों से मिलते रहे। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिय काफी काम किया है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। आज विरोधी पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि दिल्ली में इनकी दूकानदारी बंद हो गई है। लोकप्रिय नेता को लोगों ने चुना है। श्री राजीव गांधी ने बरसात और कीचड़ में जाकर दिल्ली के विकास कार्य में योगदान दिया है। उन्होंने लोगों को ज्यादा राहत दिलाने की कोशिश की है। जितना उन्होंने किया है उतना श्री वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं किया होगा।

दिल्ली का सर्वांगीण विकास हमारी पार्टी कांग्रस "आई" न श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नेतृत्व में उनके बीस सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाकर किया है जिसको विरोधी पार्टी के लोगों खासतौर से रवीन्द्र वर्माजी न अमर आत्मा की संज्ञा दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निश्चित ही अमर आत्मा है। देश के हर व्यक्ति और हर वर्ग के आदमी को फायदा पहुंचाने वाली, उनके दुख:दर्द को दूर करन वाली सिर्फ हमारी कांग्रस पार्टी ही है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। जनता ने अपने चुनाव में इस बात का फैसला कर दिया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ही इस देश के गरीब और पिछड़े हुए वर्ग का भला हो सकता है। कोई भी विरोधी पार्टी का व्यक्ति संसार का वाद-विवाद पढकर के अपना सत्यानाश कर सकता है लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि विरोध करने के लिय कोई दम नहीं है। इन शब्दों के साथ आपने जो यह संशोधन बिल पेश किया है इसका हृदय से स्वागत करता हूं और इसके लिय माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी अप्रासंगिक बातें नहीं करना चाहता जैसी

कि मेरे पूर्व वक्ता ने की है। ऐसा लग रहा था कि ये इस विधेयक पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर बोल रहे हैं। मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात व्यक्त करना चाहूंगा। स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रिजन्स के बारे में कहना चाहता हूं। सन् 1981 में सेन्सस हो गया था और अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली में किसी प्रकार चुनाव कराए गये। ऐसी आशा थी कि शायद चुनाव ही न कराये जायें। सारे दबावों को छोड़कर, सारी बातों को नंजर-अन्दाज करके यहां पर केन्द्र सरकार का शासन चलता रहा। जब यह देखा कि आग नहीं चलेगा तो जल्दबाजी में तमाम काला धन खर्च कर दिया रिगिंग किया और चुनाव करवा दिये। ...(व्यवधान)

जहां भी चुनाव होते हैं वहां कुछ न कुछ संवैधानिक गड़बड़ी करने की कोशिश होती है। संवैधानिक या कानूनी जैसी भी हो, उदाहरण के लिये जैसे आसाम में हुआ। वहां के लिये संविधान में संशोधन हो सकता था लकिन उसको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई और उसके पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसलिये, जैसे भी अपने को लाभ हो सकता है वैसे करने की आदत पर सरकार चल रही है। जब 1981 में सेन्सस हो गया तो ऐसी कौन सी कठिनाई थी कि डी-लिमिटेशन का काम नहीं हो सकता था। हो सकता था लेकिन उसको करने की सरकार में प्रतिबद्धता नहीं थी। अगर ऐसा करते तो उससे हार सकते थे। सारा देश जानता है कि वे किस प्रकार जीते हैं और कला धन किस प्रकार पानी की तरह से बहाया गया है। एक चुनाव क्षेत्र की स्थिति यह रही कि जिस पोलिंग स्टेशन पर एक उम्मीदवार ने अपना वोट दिया था वहां पर गणना के बाद में कहा कि मेरा वोट भी नहीं मिला है जबकि उसे उम्मीद थी कि वह भी जीतेगा। लेकिन रिगिंग हुआ और बोगस वोट पाए गए।

आचार्य भगवान देव : ये इतना बड़ा * * बोलते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये इस प्रकार बोलेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी ये असंसदीय शब्द का प्रयोग करें उसको रिकार्ड में रहने दिया जाये ताकि भविष्य में लोगों को पता लग सके कि ये किस किस प्रकार के व्यक्ति हैं।

आचार्य भगवान देव : इनका कहना है कि ये सत्यवादी हैं।...(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कहना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन का काम जानबूझ कर नहीं किया गया और वोटर लिस्ट का रिवीजन भी ठीक ढंग से नहीं हुआ। बहुत से नये वोटर्स इस प्रक्रिया में छोड़ दिये गये जो इस सरकार के बनने में बाधक होते।

जो शेडयूल्ड कास्ट्स के लिये सीट्स रिजर्व की जाती हैं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: He said some words. I will go through that.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, he used the word**. But let it remain.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It cannot remain as you desire.

श्री हरिकेश बहादुर : तो मैं कह रहा था कि जो रिजर्वेशन आफ सीट्स का मामला है यह भी जो 1971 में

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री हरिकेश बहादुर]

तय हुआ था वही आज भी कन्टिन्यू हो रहा है, जब कि 1981 में सेन्सस के आधार पर डीलिमिटेशन कर के उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता था जिससे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और अधिक रिप्रजेन्टेशन मिल सकता था । लेकिन वह करने का इरादा सरकार का नहीं है, केवल कहना भर ही है कि हम कमजोर वर्ग के लिये काम करते हैं । लेकिन वास्तविकता यह है कि कमजोर वर्गों को फायदा देने का कोई इरादा नहीं है, केवल बात करने का इरादा है । इसलिये इस तरह की कोशिश नहीं की गई । इसलिये अध्यादेश जारी कर के दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वह एक मुखौल उड़ाया गया है, और ऐसा अध्यादेश जारी ही नहीं करना चाहिये था । यह विधेयक उस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिये लाया गया है, इसलिये मैं इस प्रकार के किसी भी कानून का जो जन विरोधी और जनहित के विपरीत है और सरकार के निहित स्वार्थ को फायदा पहुंचाने वाला है, ऐसे किसी भी कानून या विधेयक का मैं विरोध करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष जी, जीत और हार दोनों को सहन करना सीखना चाहिये । मैं तारीफ करूंगा माननीय वाजपेयी जी की जो बी० जे० पी० के सर्वसर्वा हैं उन्होंने त्याग-पत्र दिया । इसके बाद कहने की कम गुंजायश रहती है । अपने खुद सोचा था कि दक्षिण की जो हवा वह रही है वह शायद उत्तर में भी आ जायेगी और आपने आवाज की थी, किसी ने अपोज नहीं किया इस बात का । सब एक साथ मिल गये, अगर आफ "इंडिया टुडे" में फोटो देखें सारे के सारे लीडर्स एक जगह इकट्ठा हो गये और उन्होंने कहा है कि :

"The eyes of the world are watched what happens in Delhi; a wave has been created from the Krihsna and the Cauvery and Delhi has been given a hance to push this wave forward or push it back."

1.58 hrs.

(SHRI F. H. MOHSIN *in the chair*)

इन सारे के सारों ने जो लहर चली, जहां से हमारे सभापति जी, आये हुए हैं कृष्णा और कावेरी से जो लहर आयी, इन सब ने सोचा कि हम जीत गये ।

आचार्य भगवान देव : जमुना जी में डूब गये ।

श्री मूल चन्द डागा : यह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि हिम्मत के साथ इस बात को मान लें । जो आप कहना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि 25 इलेक्शन पेटीशन्स पेश कर दी हैं । 36 लाख वोटर्स ने वोट दिया । जनता जनार्दन का निर्णय आपको मानना चाहिये जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं । इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाया । पहले यहां कई बार कहा गया कि दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं कराते हैं । मैं तो गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी लोकतांत्रिक इकाइयां हैं नगरपालिका, नगर निगम, उन सब का चुनाव नियमित रूप से होना चाहिये और प्रशासक मुकर्रर नहीं होना चाहिये । जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं यह प्रशासन के हाथ में नहीं जाने चाहिये । पहले ही सरकार को मालूम हो जाना चाहिये हमारी सारी नगरपालिकायें, नगर निगम, सारी की सारी स्वायतशासी हों, और यह लोकतंत्र की इकाइयां ही जनतंत्र का आधार हैं ।

हिन्दुस्तान में कई नगरपालिकाओं और नगरनिगमों में प्रशासक द्वारा शासन किया जाता है, यह काम ठीक नहीं है । कानून में परिवर्तन होना चाहिये कि प्रशासक के द्वारा शासन नहीं होना चाहिये ।

जिस प्रकार पार्लियामेंट बनती है उसी प्रकार से नगर-निगम आदि संस्थाओं में राज्य होना चाहिये । नौकरशाही का राज्य होने लग जायेगा तो वह ठीक नहीं होगा । मैं चाहता हूं कि लोग बढ़ें, यह हमारा अधिकार है । जिस ने जिस को चाहा चुन लिया । जब कांग्रेस की झोली में वोट लोगों ने डाल दिये, सारी बातें हो गई तब आप छानबीन कर रहे हैं । आपके मल्होत्रा साहब ने यह कहा है कि हम छान-बीन कर रहे हैं कि हमारी हार के क्या कारण हैं ? उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : वह अलग बात है :

श्री मूल चन्द डागा : यह अलग बात नहीं है । आप सारी बात जानते हैं । उन्होंने कहा है कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं ।

उसमें लोकदल भी शामिल हो गया । एक मंच पर बड़े-बड़े नेताओं ने भाषण दिये । जब आप पीछे रह गये हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं । पीपल्स रिपेजेन्टेशन एक्ट में सैक्शन 100 में एक रूल है कि आप पैटीशन करें । आप कर रहे हैं । यह बात खराब लगती है कि हारने के बाद यह कहना कि आपने यह कर दिया, वह कर दिया । 5 फरवरी को हिन्दुस्तान में और जगहों पर भी चुनाव हो रहे थे । सरकार ने सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं सोची थी ।

दिल्ली में एशियाड गेम्स हुए । उधर की तरफ बैठने वालों ने बाद में उसका विरोध किया । एशियाड गेम्स से हिन्दुस्तान का नाम संसार में बढ़ा है, यह दुनिया ने माना है । लोगों का मनोबल बढ़ा है, नौजवानों का हौसला बढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया । लोगों ने इसको एप्रीशियेट किया है कि ऊंचे दर्जे का काम दिल्ली में हुआ है । आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि इन कामों के कारण यहां कृष्णा और कावेरी की लहर का कोई असर नहीं हुआ ।

दिल्ली जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मिनी भारत है । इसका जीत यह बताती है कि सारी पार्टियां एक हो जायें तो भी कांग्रेस की छवि धूमिल नहीं होगी । कांग्रेस शासन करेगी, यह बात निश्चित हुई है । सब ने पूरी कोशिश की, पूरी बाजी लगाई, लेकिन उसके बाजो परिणाम निकले हैं, वह सबके सामने हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इलैक्शन कमीशन के सामने इन्होंने कोई पैटीशन की है कि यहां चुनाव हो रहे हैं, उसमें गड़बड़ हुई है ? इलैक्शन कमीशन के सामने क्या आपने किसी प्रकार की शिकायत की कि 1981 से चुनाव नहीं कराये हैं ? क्या आप कोई ज्ञान लेकर वहां गये ? आपने सोचा था कि जीत निश्चित है । पासवान जो अभी आ गये हैं, वह भी सोच रहे थे कि जीत हमारी निश्चित है । लेकिन दिल्ली में जो हमारी पार्टी को जीत हुई है, पासवान जी के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं और अब तक वह नजर आ रहो हैं ।

श्री राम विलास पासवान : वह तो सहारा दे दिया ।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपको जान लेना चाहिये कि सारे नेताओं ने एक मंच पर खड़े होकर, लोक-दल,

[श्री मूल चन्द डागा]

जनता पार्टी सब ने भाषण दिये, लेकिन सब पार्टियां साफ हो गई।

भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कोशिश की, ओहो, उन्होंने पता नहीं कितनी मालाएं मंगा रखा थीं, वह सूख गई या क्या हुआ? सब हमारे गले में पड़ गई। इसके बाद यह कहना कि मत-पेटियां में गड़बड़ हो गई, ठीक नहीं। अमेंडमेंट 42 का गृह-मंत्री ने बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया है।

अमेंडमेंट 42 के बाद जब हमने चुनाव कराये तो मैं एक बात चाहता हूं कि जितने शासन हैं, उनमें यह नगर निगम अलग-अलग अथोरिटी नहीं होनी चाहिये। एक ही संस्था होनी चाहिए जो हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान दे। यह डूअल सिस्टम जो चल रहा है यह ठीक नहीं है।

जहां तक चुनावों का सवाल है, चुनाव तो हो गए, हारजीत भी हो गई और जीत के लिए हम गर्व भी नहीं करते हैं। जनता ने हमारे ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया है, हम भी अपना काम पूरी तरह से करेंगे। इस कार्य में अगर विरोधी दलों ने अपना सहयोग नहीं दिया तो सारा दोष उन्हीं पर जायेगा। पासवान जी जरा इस बात को सुन लें कि अगर दिल्ली में कोई गड़बड़ हुई और अपने विकास कार्यों में अपना सहयोग नहीं दिया तो उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : सभापति महोदय, जो अध्यादेश लाया गया उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1971 की जनगणना पर चुनाव तो करा दिए और 1981 की जनगणना पर अब सीमांकन करने की बात हो रही है। लाखों नौजवान जो इन दस सालों में वोट के अधिकारी बन गए थे उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अन्याय जो हुआ, उसको बदला भी नहीं जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि सीमांकन का एक तरीका होता है। उसके लिए एक कमेटी बनती है, आब्जेक्शन्स इन्वाइट किए जाते हैं, कांस्टीटूएन्सीज बदली जाती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, सभी बातों का असर उसपर पड़ता है। अब क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि जैसा दिल्ली में किया जा रहा है, उसी प्रकार से सारे देश के स्तर पर सीमांकन करायेगी। इस लोकसभा को सवा तीन साल की अवधि बीत गई है। यदि सरकार की नीयत साफ है तो वह इस बात का उत्तर दे क्योंकि इसका काम दो साल पहले फैलाया जाता है, विभिन्न पार्टियों के लोग बैठते हैं, एम०एल०एज०एम० पीज और सभी पार्टीज की राय ली जाती है इसलिए क्या सरकार 1981 की जनगणना के आधार पर सारे देश के लिए तैयारी कर रही है?

तीसरी बात यह है कि दिल्ली में बहुत दिनों से यह मांग रही है कि चूंकि यहां जो दोहरा प्रशासन है वह किसी तरह से ठीक नहीं है इसलिए दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए और यहां पर विधान सभा बनाई जाए। इस मांग को क्यों नहीं मान लिया जाता? आज मेट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली नगर निगम और डी०डी०ए० में जिस प्रकार का पक्षपात और गड़बड़ चल रही है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहूंगा कि देश की धारा में बहने के लिए यहां पर विधान सभा का निर्माण किया जाए।

यहां के चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हो गई उससे डागा साहब ने समझ लिया कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया । आप दक्षिण से हार कर आए थे और यहां पर भी आप समझते थे कि हार जायेंगे और हम समझते थे कि जीत जायेंगे । लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है, चुनाव होते रहे हैं और आगे भी होंगे । लेकिन जो अध्यादेश लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं ।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Economic, social and other arguments were put forward by the opposition. The opposition is estopped in pleading any of the irregularities, as far as voters' list or the de-limitation is concerned because of their vigorous campaign and participation in election. I am here to plead for another aspect of this Bill. I would like to know from the hon. Minister what are the criteria for declaring a certain area as a Union Territory. I would like to get a specific answer on this issue. I emphasise that Bombay and Calcutta, both these two cities, should be declared as Union Territories. If we consider the ethnic composition, vast population, nature and other considerations, these two cities should also deserve to be declared as Union Territories.

श्री नारायण चौबे : *** तो

SHRI XAVIER ARAKAL: I am convinced of that argument.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: **

MR. CHAIRMAN: Don't say that.

SHRI XAVIER ARAKAL: Why is he afraid of that? Let the government come forward and say about it.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: What for?

MR. CHAIRMAN: You may not say all that for a member. You may differ from his views but why are you sending him there?

(Interruptions)

SHRI XAVIER ARAKAL: **

MR. CHAIRMAN: That is also not a good one. You should at least desist from making such allegations again each other.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: This is a very old demand of the big powers of India and big powers of the world.

SHRI XAVIER ARAKAL: No, no, I am not aware of it. Am I not entitled to air my views on this aspect? *(Interruptions)*. How can you prevent me from raising that issue here?

SHRI NARAYAN CHOUBEY: I cannot prevent you, but simply I want to put it on record.

MR. CHAIRMAN: You had your views on this also.

(Interruptions)

SHRI XAVIER ARAKAL: I will confine myself to this aspect because legal and political answers were given from both sides. I would like to suggest that Bombay and Calcutta both, considering their nature, composition and importance, should be declared as Union Territories and have a proper administration there. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now the Minister will reply to all the three.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: You allow me to speak on the third item later on because there is a difference between the Corporation Act and the Delhi Administration Act.

MR. CHAIRMAN: I will consider that.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Regarding Corporation, I can say there and then also. If you will permit me, then I am prepared to sit. My charge will not be lost on that point.

**Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): I thank all the hon. members who have participated in this discussion, more so my good friend Shri Shejwalkar who had moved a motion disapproving of this ordinance. Yesterday, I made it very clear that these are simple Bills which are going to replace Ordinances that were promulgated. These Bills are here for the approval of this House. Even in the Statements of Objects and Reasons, it is clearly stated about the intention of moving these two Bills in this House. I am really amuzed by certain comments made by some of the opposition members some opposition parties have developed a sort of fear psychosis, a tendency for fear; are obsessed with two things: if so, why so; if not, why not? If elections are going to be held, why are they going to be held; if elections are not going to be held; why are they not going to be held. This is the attitude that some of the opposition parties are adopting. I would like to make the position of the government very clear. The Government have been very consistent to hold elections, whether it is Delhi, or Assam or any other places and adhere to the objectives of the Constitution. There are some friends who did not want elections to be held in Assam, you know. We have been consistent, whether it is Assam or Delhi.

Secondly, hon. Members have raised certain points with regard to the voters' lists not being revised. I want to correct the misapprehension among the Members who have participated in this debate. This Bill seeks only to freeze the delimitation of the constituencies on the basis of the population ascertained in the 1971 Census. It has been done in consonance with the Forty-second Amendment of the Constitution that we have passed in this House, that up to 2000 AD the population as ascertained in the 1971 census will form the basis of delimitation of constituencies and further de-limitation deferred to that date. Anyway, we have said that the voters' lists will not be revised. And, for the information of the hon. Members, Shri Shejwalkar and other hon. Members who have raised this point. I would like to point out one thing. They said that the new voters who have come of age or those who have settled in Delhi since 1971, will not be able to get themselves enrolled through the operation of these Bills. I would like to inform the Hon'ble Members that the voters' list is revised from time to time. Intensive revision of the voters list in Delhi took place in 1979 and thereafter summary revisions have been made in 1980, 1981 and 1983, taking the 1st January of each year as the reference date for the purposes of registration of voters. Therefore, the question of eligible voters being left out of the electoral rolls does not arise.

Shri Shastriji has raised the point about 1st January 1983, which I mentioned. Because of the persistent demand made in this House by hon. Members and also outside, that the elections to these two bodies are being indefinitely postponed and the Government was not prepared to hold elections for the fear that their Party may be defeated. We said that in deference to the wishes of these people elections should be held as immediately as possible. That is the reason why this list revision could not take place because of want of time. So, there was no intention on the part of the Government to deny the frenchise to any eligible voter in Delhi. I would like to make it quite clear that we have taken all precautions to see that all the eligible voters are included in the voters' list and the revision has taken place.

In 1977, the total number of voters in Delhi was 27.41 lakhs. Through intensive revision in 1979 the number went up to 30.95 lakhs. As a result of summary revisions in 1980, 1981 and 1982 the voters' strength increased to 32.44 lakhs, 30.55 lakhs and 33.59 lakhs respectively.

So, as far as practicable, the administration has not denied the voting right to any eligible voter. That is the point which I would like to make very clear.

I will deal with the other points which the other hon. Members have raised,

about providing statehood or a Legislative Assembly to Delhi. Some Members have also questioned the wisdom of the Government in not providing statehood or Legislative Assembly to the Union Territory of Delhi.

I would like to say in this connection that others have even asked why there should be two bodies,—the Metropolitan Council and the Corporation. Perhaps, the hon. Members are not aware about the different functions and responsibilites of these two bodies. The Metropolitan Council is discharging more or less, the duties and responsibilities of an Assembly. I can read the functions of the Metropolitan Council:

"Subject to the provisions of this Act, the Metropolitan Council shall have the right to discuss, and make recommendations with respect to the following matters in so far as they relate to Delhi, namely:—

(a) proposals for undertaking legislation with respect to any of the matters enumerated in the State List or the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Constitution in so far as any such matter is applicable in relation to Union territories;

(b) proposals for extension to Delhi of any enactment in force in a state relatable to any matter enumerated in the State List or the Concurrent List;

(c) proposals for legislation referred to it by the Administrator with respect to any of the matters enumerated in the State List or the Concurrent List;

(d) the estimated receipts and expenditure pertaining to Delhi to be credited to and to be made from the Consolidated Fund of India; and notwithstanding anything contained in the Delhi Development Act 1957, the estimated receipts and expenditure of the Delhi Development Authority;

(e) matters of administration involving general policy and schemes of development in so far as they relate to matters enumerated in the State List or the Concurrent List;

(f) any other matter referred to it by the Administrator."

These are the functions. Because of certain historical reasons the Metropolitan Council has been constituted to discharge the functions of the Assembly. But there are certain limitations also. The Municipal Corporation is a civic body. It discharges all those duties which any other corporation in any State discharges. So, the functions and responsibilities of these two bodies are different.

So far as the demand of statehood to Delhi is concerned, I have already replied to a question in this House that such a demand requires further study in all its implications. I can only say at this juncture that the Government is studying further in depth the matter in all its implications with regard to providing statehood or Assembly to Delhi.

Union territories have been constituted under certain historical reasons. My hon. friend from West Bengal got excited when Mr. Arakal had said that tomorrow Calcutta would be taken as union territory. I may assure my hon. friend that providing the status of Union territories to Bombay and Calcutta does not come into the picture at all. For certain reason he have provided the status of Union Territory to other territories like Goa, Daman and Diu and Chandigarh. There is also a historical background to continute these territories as Union Territories. The Government also takes into account the public opinion there.

Some Members have expressed their apprehension that there is some deterioration in the law and order situation and that the crime rate is increasing. The Government is taking all possible steps to control crime and law and order. It does not mean that we are satisfied with that. We also feel that we must make more

[Shri P. Venkatasubbaiah]

vigorous efforts to bring down the crime rate and maintain law and order.

About the regularisation of new colonies and providing amenities to those colonies, supply of ration card to the labour working in brick kilns, enquiry into the functioning of the DDA, all these matters do not come under my Ministry. But I assure the hon. Members that their feelings would be conveyed to the concerned Minister for proper action. We are also conscious of the fact. Vyas Ji has said, that there are ten thousand Scheduled Castes of Rajasthan in Delhi and I am making it once more clear that the Government's intention is that wherever these people are, these under-privileged and oppressed and suppressed, the slum dwellers, the jhuggi jhonpari dwellers, they will receive the first priority of Government of India. Every effort will be made, and we have also been pursuing with the various State Governments, to vigorously implement the 20-Point Economic Programme. The 20-Point Economic Programme is not a party programme, it has become a national programme. It has been accepted. In this connection, I may recall that the Prime Minister visited various States and held discussions with the State Governments to see whether this 20-Point Programme is properly implemented or not. We are conscious of the fact that these people who have been neglected for years, they must get their due share and their socio-economic development should be the first priority of the Government of India.

Sir, Delhi is a miniature India. Here people from all parts of the country live. It reflects the synthesis, the unity in diversity of India as a whole. Delhi Metropolitan Council elections have attracted the country's attention notwithstanding the fact that the Opposition parties have made several attempts to get elected in these elections. Sir, the defeat and victory are just like two sides of a coin and my friends BJP people's attitude before the elections and their attitude after the election are, is different. This is a political game that goes on but the fact remains that the miniature India, that is Delhi, has affirmed its confidence in the leadership of Shrimati Indira Gandhi and in the programmes of the Congress party, that we should not lose sight of. I would only say that we should not minimise, but underscore the importance of these elections though these may be Metropolitan Council elections. This is election that reflects the aspirations and sentiments of the people of India in an abbreviated form and they have affirmed their confidence in the leadership of Shrimati Indira Gandhi. With these words I again say that these are only two Bills that are going to replace the Ordinance and I hope the hon. Members will give their support to these two Bills.

MR. CHAIRMAN: Mr. Shejwalkar, your Resolution is only for Delhi Administration. So, you have to confine yourself to that only.

SHRI N.K. SHEJWALKAR: I hope only one point regarding the other matter. Actually both the points are common. If you allow me at this moment, It will be all right or otherwise also I can take a chance.

I am very much thankful to you and to the hon. Minister and other hon. Members who have taken part. I brought two points yesterday, particularly regarding the reasons which have been given for time consumed, according to them, in delimitation and secondly the urgency of elections. These are the two points on the basis of which they say they have brought this Ordinance I have said that the time required is only 40 or 45 days. The hon. Minister says no, it is not like that, it is six months or something beyond that. Even taking what he says, the Corporation as well as the Metropolitan Council were dissolved in the month of March, 1980, if I am correct. Right from that time upto the second January 1983, there were roughly little less than two years in between. Forget the NAM, forget the ASIAD in November, 1982. What was the Government doing right from 1981, the date of dissolution, to say October, 1982? They had a lot of time. I they actually

wanted, they could have done it. But they did not do it.

Why did they not bring the Bill in the last session, in November? After all, NAM not a new thing. They knew more than a year ago when the Conference is going to be held. It was not an accidental thing. So, why was the Ordinance brought in at all? This Bill, which they have brought now to replace the Ordinance, could have been brought in last session, explaining the position and taking Parliament into confidence. But you did not choose to adopt that course.

Coming to urgency, why did you wait till March at all? Why did you not hold the elections in the first two or three months of 1982? It could have been done. In fact, when everybody was demanding it, why was it not done?

Then, coming to population, in 1901 the population of Delhi was 2,36,000. This increased by 17 times by 1971. If you peruse the census report of 1981, the opening sentence says that Delhi city had the largest proportion of increase in population. In 1981 the population is 61,96,414. The increase is mostly in the labour class, a larger share of which comes from the Scheduled Castes. So, by avoiding this delimitation you have deprived correct representation to the people belonging to Scheduled Castes. In 1961 the percentages of Scheduled Castes in Delhi was 22.92 or 23. It rose to 32.45 in 1971. So, naturally it must have increased to at least 42 per cent in 1981. But this increaesu population of Scheduled Castes has been deprived of additional representation. That is why I say that you have deprived quite a few people of their right of representation, particularly people belonging to the Scheduled Castes.

MR. CHAIRMAN: Do you mean to say, that the General seat should have gone to Reserved?

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Yes. The Minister said that according to the Forty-second Amendment, the number of constituencies has increased. That is all right. When he was replying to the debate yesterday, I intervened to clarify that my contention is not that you have not increased the number of constituencies, according to the increase in population, but you have not given more constituencies to the Scheduled Castes, according to the increase in their population. You have to give them more constituencies, according to the increase in their number, which you have not done. The Constitution provides that you have to provide seats in proportion to the population. So, you have deprived them of their constitutional right. I am not against the Constitution (Fortysecond) Amendment; I agree that you cannot indefinitely go on increasing the number. But this does not apply to the Delhi Corporation. You cannot put a limit to the corporation constituencies. If more areas are included in the Corporation, you have to give them more seats, because the Forty second Amendment does not come into the picture, so far as the Corporation is concerned. So, this argument does not apply in the present case. For the Corporation, you did not have re-distribution and have more seats.

Coming to the lists, you prepared them in 1980. But three years have passed since 1980. In three years there is a lot of percentage of voters who would have become major. Those who were eighteen years old are by now twentyone. They have the right to vote. Unfortunately, some persons must have died too in these three years. List remaining the same, some sort of bogus voting must have been there.

Why did you not get the list checked up and brought up-to-date? This could have been done within fifteen days or a month. The list could have been got published again. But this has not been done.

Shri Daga is not here. I must thank him for rightly pointing out that there is some sort of thinking of the Government. I opposed right from the very beginning their thinking. In the State Governments also there is disregard of the provisions. There should be provision that they should not be that kind of administration at all.

[Shri N. K. Shejwalkar]

If for certain reasons it is necessary, the administration should be only for the purpose of having election of a fresh body. In no case it should exceed six months. Within six months they must start the proceedings for the next election. This should be applicable to Delhi too.

President has got power to take over and have Presidential rule. This has been done more than two dozen times.

It is said, if we do something, people ask why are you doing that and if we do not do, they say why do you not do that? It is said that we will do anything at any time, for any reason as is convenient to us. Therefore, please do not ask. That seems to be your policy. They do not have any regard to the conventions, to the norms. After all you are going to lay down certain norms for the future also.

The way in which the State Assemblies are disolved is not correct. What Janata did in 1977 was also not good. But a precedent to dissolve Parliament was there in 1971. So many times Assemblies have been dissolved. Whenever it suits the party in power, they dissolve or make use of the provisions of the Constitution. In the same set of circumstances they go on extending life of the Assembly irrespective of the fact that they could not get confidence of the House. It is the history.

In Madhya Pradesh there was Mugeli Municipal Committee. It was superseded. A writ in the High Court was filed The High Court set aside the decision of the Government. It was re-instated. After the decision of the High Court it was again dissolved. The Members of the Municipal Committee again went to the High Court. Again the decision was set aside. In this way three or four years were wasted. They could not have charge. They could not work. Is it fair? Is it what is needed? Is there any norm? Whenever you desire, at any time for no reason you may do all these things! This cannot go on. I do not find any proper justification so far as the first point is concerned. You could not given any convincing reasons. After 1981, what were you doing? There was one complete year at your disposal and it could have been done.

Without going into other political things which my friends have stated, I must submit with a heavy heart that no respect is being given to the norms, to the decisions of this Hon'able House or the Directions given by the Speaker. Sir, the wrong practice is being followed. I urge upon you to see that this is not repeated. I am very much thankful to you because at least you conceded yesterday that this extraordinary measure should not be taken recourse to too often. I must thank you for your frank statement there. But even after making the statement, I am sorry you are supporting the action again which is not supportable. Of course, nothing can be done now because ordinance has already been issued and a Bill has been brought in. But at least give an assurance to this House that you will not interfere with the powers of the local bodies or the powers of the State Assemblies. Let the normal process of freedom of thought, freedom of elections and freedom of all these things be allowed to continue. Let the matter be settled accordingly wihout any inference from the side of the Central Government in this way.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: I would like to make some points clear here. I have got the figures of the population of Delhi and that of Scheduled Castes. Perhaps, Shejwalkarji, your figures may not be fully correct.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Tell me. I will verify.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: The total population in 1971 was 40,65,698. In 1981, it is 62,20,406.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: I stand corrected. I gave the figure of 61,96,414 which I have taken from a book obtained from the Library.

MR. CHAIRMAN: He is in-charge of Census also.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: I have referred to it from the Library, just now. Anyway, it does not make much difference.

SHRI VENKATASUBBIAH: The percentage of Scheduled Castes was 15.64 in 1971 and it is 18.03 in 1981. While determining the number of seats reserved for the Scheduled Castes, though the population pecentage of the Scheduled Castes was 15.64 on the basis of 1971 census, we have calculated it on the basis of 16.07 and the seats determined were 9 in number. If the population percentage of 1981 census has been taken into consideration, the number would have been increased by one more seat. But if we go back to 1971 census, the number of seats is a bit high. Though the percentage was 15.64 on the basis of 1971 census, we have worked it out at 16.07.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Let me understand. According to the 1981 census the seats which have been allotted are less by one. Do you admit?

SHRI P. VENKATASUBBIAH: It is true that it has been less by one if we take 1981 census into account.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: After all, the number is not material.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: I agree that the number is not material. But the intention of the Government, even before 1971 census, is to give as far as possible and practicable adequate representation to the Scheduled Castes. We do not intend to deprive their legitimate rights enjoyed by them under the Constitution.

MR. CHAIRMAN: The BJP was asking for early elections.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: Yes, it was asking for early elections.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: As a running commentary, I will not interrupt. After he finishes his speech, I will just make some points.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: Whatever I have said in my earlier speech, though Shri Shejwalkar does not agree, I am sure that....

MR. CHAIRMAN: One more point raised was, you could have delayed the Corporation elections. This was applicable only to the Delhi Metropolitan Council.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: You know the Corporation elections were also overdue. The supersession would have ended by April and also the hon. Members on the floor of the House had been demanding that there should not be any more extension and that elections ought to be held. It applied both to the Council as well as to the Corporation. Keeping that in view, we thought that these two elections must be held.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: If the hon. Minister think sit proper, let him kindly give us an assurance. After all, this onus has to be accepted. Does he not want this sort of practice or indifference in regard to holding of elections to the Corporations or local bodies to go? For example, for the Gwalior Municipal Corporation, the elections have not taken place for 15 years. Whereever they are in power, they are extending the term of the Corporation as they like, like anything for years together, without any reason or for no reason. There are some places where the elections are not held for the last 20 years even. If he accepts this on principle, I will be very happy if he assures us that no intervention will be allowed, that they will not interfere in the affairs of the local bodies and that the elections are held when the time for elections is due.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: We do not interfere unnecessarily unless there are compelling reasons or a comparison to do that. About the Delhi Municipal Corporation, I said that with effect from 11th August, 1980, it had been superseded because in the opinion of the Central Government the Corporation had persistently made defaults in the performance

[Shri P. Venkatasubbiah]

of its duties, had abused its powers and was not competent to perform the duties imposed on it. The period of supersession was extended from time to time and the last extension was due to expire on 10th April, 1983. Unless there are some compelling reasons, unless the Government feels that by taking action the interests of the people are to be protected, it is not done. Only under compelling reasons, it is done.

I can assure the hon. Member that the Central Government does not want in any way to interfere with the democratic functioning of any institution, whether it is local bodies or any other institution under the purview of the Government of India.

About the Gwalior Municipal Corporation and all that, he knows—he is a constitutional expert—that Gwalior Municipal Corporation comes under the Madhya Pradesh Government and they can take up the matter in the State Assembly.

MR. CHAIRMAN: I will first put the Statutory Resolution moved by Shri N. K. Shejwalkar to the vote of the House.

The question is:

"This House disapproved of the Delhi Adminstration (Amendment) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 1 of 1983) promulgated by the President on the 2nd January, 1983."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now we take up the motion for consideration of the Delhi Administration (Amendment) Bill.

The question is:

"That the Bill to amend the Delhi Adminstration Act, 1966, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We now take up the Clause-by-Clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Caluse 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clasuse 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we take up Item 19, the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill.

The question is:

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we take up Clause by Clause consideration of the Bill. Shri Bhikhu Ram Jain. Absent.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is no amendment to clause 3. The question is that:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. VENKATASUBBIAH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.52 hrs.

AIRCRAFT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION) (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Aircraft Act, 1934, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This Bill seeks to amend Sections 5 and 14A of the Aircraft Act, 1934. Section 5 deals with the rule-making power of the Central Government and Section 14A deals with laying of the rules made under the principal Act before the Parliament.

As regards amendment to Section 5 of the principal Act, it is propsed to insert a new Clause (ab) in Section 2 of the said Section to enable the Government to make Rules relating to economic regulation of Civil Aviation and Air Transport Services including approval, disapproval or revision of tariffs applied by airlines, designation of officers who may exercise this power, the procedures to be followed in approving, disapproving or revising the tariffs and appeals against the orders.

The new sub-Clause includes definition of the expression 'tariff'. In respect of international air transport, the International Air Transport Association which is a body of International Airlines operating scheduled air services, has a rate-fixing mechanism to establish rates for passengers and cargo transport. It also lays down terms and conditions of commission payable. This Authority is recognised by several Governments including the Government of India. The member airlines adopt fares, rates, rules and regulations by way of resolutions of the authority which are then submitted to the respective Governments for approval. The resolutions come into effect when the IATA receives approval from all Government concerns, approval or disapproval is given by the Governments as sovereign bodies. To ensure that member airlines which operate international air services, apply tariff adopted by IATA many Governments have enacted necessary legisltaion according to which such airlines obtain approval of the Aeronautical Authorities.

In 1972, the Central Government decided to enact legislation in purusance of section 5 of the Aircraft Act, 1934, and made new rules, namely, Rules Nos. 135, 135A, 135B and 135C, for this purpose to be incorporated in the Aircraft Rules, 1937. These rules were amended in 1975 and in pursuance of these rules, the power to approve, disapprove or revise the tariffs was given to the Director-Gen-